न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00282

1. स्व0 कजोड आत्मज धूली लाल जाति माली जरिये कायममुकामान :-
   1/1. नन्दा आत्मज स्व0 कजोड जाति माली निवासी ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/2. संतोष बाई पुत्री स्व0 कजोड पत्नी श्री देवीलाल जाति माली निवासी ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/3. सुशीला बाई पुत्री स्व0 कजोड पत्नी नन्द लाल जाति माली निवासी ग्राम गरनावद तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
2. स्व0 बिरधा आत्मज धूली लाल जाति माली निवासी ग्राम गरनावद तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जरिये कायममुकामान :-
   2/1. लक्ष्मी बाई बेवा स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/2. रतन आत्मज स्व0 बरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/3. देवीलाल आत्मज स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/4. कृष्णा पुत्री स्व0 बिरधा पत्नी श्री दिलीप जाति माली निवासी ग्राम भानपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) ।
   2/5. ललिता पुत्री स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दलाल पिता स्व0 रूपा माता श्रीमती धापू बाई जाति माली निवासी ग्राम चेचट नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी कोटा ।
2. बालाराम पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
3. सुख देव पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
4. चतुर्भुज पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
5. रमेश पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई जाति माली निवासीगण ग्राम चेचट नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. गोपाल आत्मज स्व0 श्री कालू जाति माली ।
7. लाल चन्द आत्मज स्व0 कालू जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. रामकरण आत्मज श्री दल्ला जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री वी0 सी0 मालवीय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 26.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रीछडिया तहसील, रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नं0 156 की 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 157 की 13 बिस्वा, खसरा नं0 158 की01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं0 159 की 08 बिस्वा, खसरा नं0 161 की 05 बिस्वा, खसरा नं0 163 की 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 164 की 07 बिस्वा, खसरा नं0 169 की06 बिस्वा कुल 08 किता की 07 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 1133 की 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 1134 की 06 बीघा 19 बिस्वा कुल 02 किता की 13 बीघा 09 बिस्वा कुल आराजी 20 बीघा 16 बिस्वा स्थित है । उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के नाना श्री हरिराम एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता श्री धूली लाल के सहखाते में दर्ज थी । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अपने 1/2 हिस्से की आराजी को प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को विक्रय कर दिया । वादीगण की माता का देहान्त वादीगण की नानी की मृत्यु के पूर्व ही हो गया था इस कारण प्रतिवादी क्रम 5 को उसका फौती इंतकाल कानूनन वादीगण के नाम तस्दीक करना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा श्रीमती हीराबाई का फौती इंतकाल प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम तस्दीक कर दिया । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का जो हिस्सा 1/2 था उसको प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पूर्व में ही प्रतिवादी क्रम 3 व 4 को विकग्र कर चुके हैं तथा अब प्रतिवादी क्रम 5 से सांठ–गॉठकर कर वादीगण की नानी के हिस्से की आराजी जिसे पर कानूनन वादीगण का हक बनता है को प्रतिवादीगण हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं । वादीगण मृतक हीराबाई के प्रथम श्रेणी के वारिस हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के नाम दर्ज है जिसका नाजायज लाभ उठाकर वह उक्त भूमि को हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम हटाया जाकर 1/2 हिस्से पर वादीगण का नाम अंकित करवाया जावे । वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादी क्रम 3 व 4 के मध्य विभाजन किया जाकर वादीगण को उनके 1/2 हिस्से की आराजी का तन्हा कब्जा दिलवाया जावे और वादीगण का हिस्सा पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से हस्तान्तरित न करे व वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.12.2007 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी के पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2007 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 03.08.2010 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

6. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2010 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2019 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में हीरा बेवा हरिराम का 1/2 हिस्सा था जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो रहा है। हीरा बेवा हरिराम ने उक्त भूमि में निहित उसके सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 की भूमि को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को 4000/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था । उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 520 से क्रेतागण प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते में दर्ज हो गई । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 क्रय के समय से ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का हीरा द्वारा बेचान किये जाने से उनका उक्त भूमि में अब कोई हित – निहित नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने रिमाण्ड दिशा–निर्देशों की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । हीरा बाई एवं वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा उनके तथाकथित हक – हकूक समाप्त हो चुके हैं । प्रतिवादी क्रम 2/1 श्रीमती पार्वती बाई की मृत्यु हो चुकी है । इस कारण से इस अपील में उसको पक्षकार नहीं बनाया है उनके वारिस पूर्व से ही बतौर प्रतिवादी मौजूद हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है और विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी में हीरा बेवा हरिराम का 1/2 हिस्सा दर्ज था । हीरा बेवा हरिराम ने अपने 1/2 हिस्से को कजोड और बिरधा को दिनांक 29.05.1983 को 4000/– रूपये में बेचान कर कब्जा संभला दिया था । दिनांक 17.06.2000 को यह आराजी नामान्तरकरण संख्या 520 ने क्रेतागण जो प्रतिवादी क्रम 1 व 2 हैं उनके खाते में दर्ज हो चुकी है और तब से यह आराजी

प्रतिवादीगण के निरन्तर कब्जे में चली आ रही है । इस तथ्य को अपीलान्टगण ने प्रमाणित कर दिया था फिर भी निर्णय वादी के पक्ष में पारित किया गया है । दिनांक 03.08.2010 को पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रिमाण्ड की गई थी । रिमाण्ड निर्देशों की पालना नहीं की गई है । हीराबाई का कोई हित वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है । तनकीयात की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित होने के बावजूद दावा वादी डिक्री किया गया है । वादीगण का कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है । उनके खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है । अपीलान्टगण का परमिसिव पजेशन मानने में त्रुटि की है । अपीलान्टगण को शहादत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । जिस समय हीराबाई की मृत्यु हुई थी उस समय आराजी उनके खाते में नहीं थी । धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण को खातेदारी नहीं दी जा सकती । बयानों में कब्जा अपीलान्टगण का स्वीकार किया गया है कब्जे की सहायता नहीं मांगी गई है, स्थायी निषेधाज्ञा चाही है । बिना बेदखली के हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 103, आरआरडी 1977 पेज 378, आआरडी 1974 पेज 334, आरआरडी 1989 पेज 150, आरआरडी 1989 पेज 774 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है । वादीगण धापूबाई के वारिस हैं और धापूबाई, हीराबाई की पुत्री है जिनकी मृत्यु हीराबाई के जीवनकाल में ही हो गई थी । वादग्रस्त आराजी धुली लाल एवं हरिराम के संयुक्त खाते में दर्ज थी । हरिराम की मृत्यु के बाद उनका 1/2 हिस्सा हीराबाई के खाते में दर्ज हुआ । हरिराम की मृत्यु पर फौती इंतकाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि धूलीलाल के पुत्र हैं उनके पक्ष में तस्दीक किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है । प्रतिवादी क्रम 1 और 2 अपना हिस्सा पूर्व में ही विक्रय कर चुके हैं । हीराबाई का 1/2 हिस्सा वादीगण के कब्जे में है और वो हीराबाई के वारिस हैं । वादी ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से डिक्री किया है । अपीलान्टगण एक तहरीर के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अपने अधिकारों की बात करते हैं परन्तु यह तहरीर प्रदर्श– 1ए पंजीकृत नहीं है जिससे प्रतिवादीगण को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं हो सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 बहाल रखा जावे ।

11. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने रिबटल में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट वादीगण ने तहरीर प्रदर्श– ए–1 को चैलेंज नहीं किया है । वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श– पी–1 है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी कुल 08 किता की 07 बीघा 07 बिस्वा गोपाल, लालचन्द पिसरान कालूलाल हिस्सा 1/2 और हीरा बाई बेवा हरिराम 1/2 के खाते में दर्ज है और इस पर नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 17.06.2000 का नोट अंकित है जिसके अनुसार हीराबाई की मृत्यु हो जाने पर उनके 1/2 हिस्से में कजोड, बिरधा पिसरान धूलीलाल का नाम दर्ज किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2054–57 प्रदर्श–

पी–2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी 02 किता की 13 बीघा 09 बिस्वा में कजोड, बिरधा हिस्सा 1/2, हीरा बेवा हरिराम 1/2 हिस्सा दर्ज है इस पर नामान्तरकरण संख्या 470 दिनांक 30.09.97 का नोट अंकित है जिसके अनुसार रामकरण पुत्र दल्ला जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 और हीरा बेवा हरिराम हिस्सा 1/2 दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 520 से हीराबाई बेवा हरिराम के स्थान पर कजोड, बिरधा का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ का नोट अंकित है ।

13. वादी की ओर से बयान नन्दलाल, सुखेदव, किशनलाल पीडब्ल्यू–3, बजरंगा पीडब्ल्यू–4 कराये गये हैं ।

14. प्रतिवादी की ओर से एक अपंजीकृत तहरीर प्रदर्श–1ए पेश की गई है और बयानों में लक्ष्मीबाई डीडब्ल्यू–1, विजय सिंह डीडब्ल्यू–2, देवलाल डीडब्ल्यू–3 कराये गये हैं ।

15. परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.12.2007 को दावा वादीगण डिक्री किया गया था जिसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 03.08.2010 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया और कब्जे के बाबत् तनकी कायम कर साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त पक्षकारान को साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये हैं । अपीलान्ट प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने के काफी अवसर दिये गये हैं और पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जब उनकी ओर से कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश नहीं की गई तो उनकी साक्ष्य दिनांक 27.05.2019 को बन्द की गई । अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य पुनः खोलने हेतु कोई आवेदन परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं किया गया और परीक्षण न्यायालय ने उभयपक्षीय बहस अभिभाषक सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी हीराबाई बेवा हरिराम का 1/2 हिस्सा दर्ज था और सन् 2000 में नामान्तरकरण संख्या 520 दिनांक 17.06.2000 को हीरा बाई बेवा हरिराम के 1/2 हिस्से पर कजोड, बिरधा का नाम दर्ज किया गया है । वादीगण का यह कथन है कि वो हीराबाई की पुत्री धापूबाई के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी में खातेदार घोषित होने के अधिकारी है । दावे की मद संख्या 03 के जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने यह अंकित किया है कि धापूबाई का देहान्त हीराबाई से पूर्व हो जाना स्वीकार है और हीराबाई ने धापूबाई के देहान्त के बाद उनके पक्ष में 4000/– रूपये नगद लेकर हक छोड दिया था । जवाबदावे की मद संख्या 02 में वादग्रस्त आराजी में हरिराम और धूली लाल का सहखातेदार होना स्वीकार किया है । जहॉ तक 4000/– रूपये में हीराबाई के द्वारा हक छोडने का प्रश्न है यह दस्तावेज पंजीकृत नहीं है और न ही पूर्ण मुद्रांकित है । इस दस्तावेज के आधार पर अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी में कोई हक–हकूक प्राप्त नहीं होते हैं । वादग्रस्त आराजी पर हीराबाई की मृत्यु के उपरान्त वादीगण धापूबाई के वारिस होने के नाते सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी थे परन्तु त्रुटिपूर्ण रूप से दिनांक 17.06.2000 को हीराबाई की मृत्यु का नामान्तरकरण प्रतिवादीगण कजोड और बिरधा के पक्ष में खोला गया है । इस नामान्तरकरण के आधार पर कजोड और बिरधा वादीगण के स्थान वाद वादग्रस्त आराजी में दिनांक 17.06.2000 से सहखातेदार दर्ज हुए हैं ।

वादीगण ने दावा सन् 2006 में प्रस्तुत किया है । वादीगण हीराबाई के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी हैं । जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते में होने के कारण एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रतिकूल नहीं हो सकता वरन् उसकी ओर से ही माना जाता है । तद्नुसार विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत नजीरें आरआरडी 1989 पेज 150, आरआरडी 1989 पेज 774 यहॉ चस्पा नहीं होती हैं । जहॉ तक रिमाण्ड निर्देशों का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किये हैं । इस कारण आरआरडी 1977 पेज 378 यहॉ चस्पा नहीं होती है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 26.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/000282

1. स्व0 कजोड आत्मज धूली लाल जाति माली जरिये कायममुकामान :–
   1/1. नन्दा आत्मज स्व0 कजोड जाति माली निवासी ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/2. संतोष बाई पुत्री स्व0 कजोड पत्नी श्री देवीलाल जाति माली निवासी ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/3. सुशीला बाई पुत्री स्व0 कजोड पत्नी नन्द लाल जाति माली निवासी ग्राम गरनावद तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
2. स्व0 बिरधा आत्मज धूली लाल जाति माली निवासी ग्राम गरनावद तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जरिये कायममुकामान :–
   2/1. लक्ष्मी बाई बेवा स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/2. रतन आत्मज स्व0 बरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/3. देवीलाल आत्मज स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   2/4. कृष्णा पुत्री स्व0 बिरधा पत्नी श्री दिलीप जाति माली निवासी ग्राम भानपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) ।
   2/5. ललिता पुत्री स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. नन्दलाल पिता स्व0 रूपा माता श्रीमती धापू बाई जाति माली निवासी ग्राम चेचट नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी कोटा ।
2. बालाराम पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
3. सुख देव पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
4. चतुर्भुज पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।

5. रमेश पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई जाति माली निवासीगण ग्राम चेचट नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. गोपाल आत्मज स्व0 श्री कालू जाति माली ।
7. लाल चन्द आत्मज स्व0 कालू जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
8. रामकरण आत्मज श्री दल्ला जाति गुर्जर निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 53/दावा/2000

1. नन्दलाल पिता स्व0 रूपा माता श्रीमती धापू बाई जाति माली निवासी ग्राम चेचट नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी कोटा ।
2. बालाराम पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
3. सुख देव पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
4. चतुर्भुज पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई ।
5. रमेश पिता स्व0 रूपा जी माता श्रीमती धापू बाई जाति माली निवासीगण ग्राम चेचट नायब तहसील चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. स्व0 कजोड आत्मज धूली लाल जाति माली जरिये कायममुकामान :—
   1/1. नन्दा आत्मज स्व0 कजोड जाति माली निवासी ग्राम खेडली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/2. संतोष बाई पुत्री स्व0 कजोड पत्नी श्री देवीलाल जाति माली निवासी ग्राम सालेडा कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
   1/3. सुशीला बाई पुत्री स्व0 कजोड पत्नी नन्द लाल जाति माली निवासी ग्राम गरनावद तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
2. स्व0 बिरधा आत्मज धूली लाल जाति माली निवासी ग्राम गरनावद तहसील झालरापाटन जिला झालावाड जरिये कायममुकामान :—

2/1. लक्ष्मी बाई बेवा स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

2/2. रतन आत्मज स्व0 बरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

2/3. देवीलाल आत्मज स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

2/4. कृष्णा पुत्री स्व0 बिरधा पत्नी श्री दिलीप जाति माली निवासी ग्राम भानपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) ।

2/5. ललिता पुत्री स्व0 बिरधा जाति माली निवासी ग्राम रिछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख **26.10.2020** को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री वी0सी0 मालवीय के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.07.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख **26.10.2020** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा